झारखण्ड सरकार,

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

एफ–49/50, सेक्टर–III, धुर्वा, राँची–834004.

विज्ञापन संख्या–15/2015

(संशोधित–2)

संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा–2015 (बैकलॉग रिक्ति)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग तथा योजना–सह– वित्त विभाग झारखण्ड सरकार, अन्तर्गत क्रमशः प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष तथा सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष के पदों की संसूचित बैकलॉग रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति के लिए झारखण्ड राज्य के सुयोग्य अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के चयन हेतु भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा–2015 के लिये ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उम्मीदवार अर्हता अनुसार निम्नांकित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाईन (Online) आवेदन आयोग के वेबसाईट www.jssc.in पर लॉगईन (Login) करके समर्पित किया जा सकता है।

इस संशोधित विज्ञापन के प्रकाशन के पूर्व जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाईन आवेदन समर्पित कर दिया है वे अपनी शैक्षणिक योग्यता एवं तदनुसार पदों के लिए दिए गए विकल्प में इस विज्ञापन की कंडिका–10 के अनुसार संशोधन कर सकते हैं। समर्पित ऑन–लाईन आवेदन में संशोधन के पश्चात भी अभ्यर्थियों का आवेदन क्रमांक (Registration No.) पूर्ववत रहेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा।

2. रिक्तियों का विवरण :–

क्रम सं॰	पदनाम	आरक्षण कोटि	पदों की संख्या				
			कुल	कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण			
				महिला	दृष्टि निःशक्तता	मूक बाधिर निःशक्तता	चलन निःशक्तता
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी	अनुसूचित जनजाति	14	00	00	00	00
2	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	अनुसूचित जनजाति	25	01	00	01	00

3.	प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष	अनुसूचित जनजाति	28	01	00	00	00
4	सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष	अनुसूचित जनजाति	01	00	00	00	00
5.	वरीय अंकेक्षक	अनुसूचित जनजाति	01	00	00	00	00
		अनुसूचित जाति	01	00	00	00	00

3. परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्त्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नही करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग मुख्य परीक्षा के बाद सफल अभ्यर्थियों की पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच कर सकता है।

4. **प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष, सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष तथा वरीय अंकेक्षक** के पदों के लिए विज्ञापन संख्या–14/2015 (संशोधित –2) नियमित रिक्तियों के लिए प्रकाशित किया गया है। विज्ञापन संख्या–14/2015 (संशोधित –2) एवं 15/2015 (संशोधित –2) दोनो विज्ञापनों के लिए अर्हत्ता प्राप्त अभ्यर्थी एक साथ एक ही आवेदन कर सकेंगे और इस आशय का विकल्प ऑन लाईन आवेदन भरने में उपलब्ध रहेगा। दोनो विज्ञापनों के लिए एक साथ आवेदन करने की स्थिति में एक ही परीक्षा शुल्क देय होगा। यदि कोई अभ्यर्थी सिर्फ एक विज्ञापन के विरूद्ध आवेदन देते है वैसी स्थिति में भी उन्हें एक परीक्षा शुल्क देना होगा।

इन दोनों विज्ञापनों के लिए एक ही परीक्षा **''संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा– 2015''** आयोजित की जायेगी।

5. कंडिका– 2 में वर्णित पदों का वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षिणिक योग्यता निम्नवत् हैः–

क्रम सं०	**पदनाम**	**वेतनमान**	**न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता**
1	**2**	**3**	**4**
1	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी	वेतन बैंड पी०बी० I – रू० 9300–34800 ग्रेड वेतन – रू० 4200	स्नातक या समकक्ष डिग्री।
2	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	वेतन बैंड पी०बी० I – रू० 9300–34800 ग्रेड वेतन – रू० 4200	
3	प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष	वेतन बैंड पी०बी० I – रू० 9300–34800 ग्रेड वेतन – रू० 4200	कृषि स्नातक।

4	सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष	वेतन बैंड पी॰बी॰ I – रू॰ 9300–34800 ग्रेड वेतन – रू॰ 4200	गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा संख्यिकी अथवा कृषि विषय में स्नातक।
5	वरीय अंकेक्षक	वेतन बैंड पी॰बी॰ I – रू॰ 9300–34800 ग्रेड वेतन – रू॰ 4200	गणित/वाणिज्य/सांख्यिकी अथवा अर्थशास्त्र विषय के साथ स्नातक।

शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए Online आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि (Reference Date) माना जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता नहीं धारित करते हैं तथा ऊपर उल्लेखित शर्त पूरा नहीं करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जायेंगे।

6. आयु सीमा :–

क्रम सं॰	पदनाम	न्यूनतम उम्र सीमा की संदर्भ तिथि	न्यूनतम उम्र सीमा	अधिकतम उम्र सीमा की संदर्भ तिथि	अधिकतम उम्र सीमा
1	2	3	4	5	6
1	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी	01.08.2015	21 वर्ष	01.08.2010	40 वर्ष
2	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	01.08.2015	21 वर्ष	01.08.2010	40 वर्ष
3	प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष	01.08.2015	21 वर्ष	01.08.2010	40 वर्ष
4	सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष	01.08.2015	21 वर्ष	01.08.2010	40 वर्ष
5	वरीय अंकेक्षक	01.08.2016	21 वर्ष	01.08.2010	40 वर्ष

7. सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 40 अथवा इससे अधिक हो, को आयु सीमा में पाँच वर्षो की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। निःशक्तता सम्बन्धी प्रमाण पत्र सक्षम चिकित्सा पर्षद से निर्गत होना चाहिए।

8. दृष्टि निःशक्त एवं चलन निःशक्तता श्रेणी के उम्मीदवारों को उनके अनुरोध पर स्क्राईब की सुविधा दी जायेगी। निःशक्त श्रेणी के उम्मीदवारों को परीक्षा में उत्तर देने के लिए 20 मिनट प्रति घंटा की दर से अतिरिक्त समय दिया जायेगा। यह सुविधा सभी निःशक्त अभ्यर्थियों को दी जायेगी।

9. आरक्षण :–

(I) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(II) आरक्षण का लाभ एवं उम्र सीमा में छूट केवल झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी को ही देय होगा। झारखण्ड राज्य के बाहर के सभी उम्मीदवार अनारक्षित/सामान्य वर्ग के माने जायेंगे।

(III) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले झारखण्ड के स्थानीय निवासी उम्मीदवार को वांछित (यथा आयोग के वेवसाईट पर प्रकाशित) प्रमाण–पत्र आयोग द्वारा प्रमाण–पत्रों की जाँच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा।

10. ON LINE आवेदन पत्र को भरना एवं (Submit) करना :– ऑन–लाईन आवेदन को भरने के लिए दिए गये दिशा निदेश का अक्षरशः पालन करें। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को जमा (Submit) करें। आवेदन पत्र भरने के लिए आयोग के वेवसाईट www.jssc.in पर जाएँ एवं Online Application for CGSCE-2015 पर Click करें तथा आवेदन पत्र भरें। **आवेदकों को सूचित किया जाता है कि आवेदन Submit करने के पूर्व भरे गये आवेदन को ठीक से देख लें। यदि कोई त्रुटि है तो उसे सुधार कर ही आवेदन Submit करें। एक बार आवेदन Submit करने के पश्चात् परीक्षाफल को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रविष्टि में सुधार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और भरे गये आवेदन के आधार पर ही आवेदक की परीक्षा ली जायेगी।**

ऑन–लाईन आवेदन भरने एवं शैक्षणिक योग्यता तथा पदों के विकल्प में संशोधन के लिए लिंक दिनांक 23.06.2016 के 11.00 बजे पूर्वाहन् से उपलब्ध होगा तथा आवेदन को भेजने (Submit) करने की अन्तिम तिथि दिनांक 07.07.2016 संध्या 05.00 बजे तक है। 07.07.2016 के बाद दिनांक 12.07.2016 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध होगा।

10 (क) पदों का विकल्प :–

विभिन्न शैक्षणिक योग्यताधारी आवेदकों को अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पदो के लिए अधिमानता क्रम में विकल्प देना **आवश्यक** होगा।

11. परीक्षा का स्वरूप :–

1. **परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम :–** परीक्षा दो चरणों में ली जायेगी –

(क) प्रारम्भिक परीक्षा
(ख) मुख्य परीक्षा

सभी परीक्षाओं में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 (तीन) होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 (तीन) अंक दिये जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 (एक) अंक की कटौती की जायेगी।

परीक्षा की भाषा हिन्दी/अंग्रेजी होगी।

12. परीक्षा शुल्कः–

परीक्षा शुल्क रू॰ 460 (चार सौ साठ रूपये) है।

परीक्षा शुल्क में छूटः– झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू॰ 115 (एक सौ पन्द्रह रूपये) है। झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित

जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जा सकेगें। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।

परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को बैंक चार्ज के रूप में निम्नवत राशि का भुगतान भी करना होगाः–

(क) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं इसके सहयोगी बैंको के नेट बैंकिग एवं डेबिट कार्ड द्वारा परीक्षा शुल्क भुगतान करने पर अतिरिक्त देय राशि रू० 11.40।

(ख) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा अन्य बैंको के नेट बैंकिग से परीक्षा शुल्क भुगतान करने पर अतिरिक्त देय राशि रू० 17.10।

(ग) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा अन्य बैंको के डेबिट कार्ड एवं किसी भी क्रेडिट कार्ड से परीक्षा शुल्क भुगतान करने पर अतिरिक्त देय राशि रू० 12.54।

(घ) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांच में चालान के द्वारा परीक्षा शुल्क भुगतान करने पर अतिरिक्त देय राशि रू० 57.00।

13. परीक्षा से संबंधित विस्तृत सूचना परीक्षा की विवरणिका में उपलब्ध है जो आयोग के वेवसाईट–www.jssc.in पर देखा जा सकता है।

ह0/–
परीक्षा नियंत्रक